

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नईटिहरी, टिहरी गढ़वाल।


अति आवश्यक/महत्वपूर्ण सूचना

दिनांक 30 जनवरी, 2024

निदेशक (उ0शि0) उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक-डिग्री पेंशन/विविध/6296/2023-24 दिनांक 29 जनवरी, 2024 के अनुपालन में इस महाविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत प्राध्यापकों एवं नियमित कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड विनियमितीकरण नियमावली 2002 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व विनियमितीकरण की अर्हता धारित कार्मिकों से निर्धारित प्रारूप पर सूचना भरकर अन्तिम तिथि दिनांक 02 फरवरी, 2024 तक कार्यालय में जमा करा दें, वांछित सूचना अप्राप्त होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्मिक का होगा।

अतः महाविद्यालय के नियमित प्राध्यापक एवं नियमित कर्मचारी अविलम्ब सूचना कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

1. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत कार्मिक जो कि दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त हुये हों एवं दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 के उपरान्त विनियमित किये गये हों, किन्तु उत्तराखण्ड, विनियमितीकरण, 2002 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व विनियमितीकरण की अर्हता रखते हों, एवं तत्समय नियमित पद रिक्त हों,
2. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत कार्मिक जो कि दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त हों, जिनका विनियमितीकरण आदेश निर्गत करने से पूर्व निधन हो गया हो अथवा वह सेवानिवृत्त हो गये हों, किन्तु उत्तराखण्ड, विनियमितीकरण, 2002 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व विनियमितीकरण की अर्हता रखते हों, एवं तत्समय नियमित पद रिक्त हों,
3. उक्त प्रकरण से सम्बन्धित यदि कोई वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा प्रचलन में हो, तो उसका विवरण प्रमाण सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
4. शासनादेश सं0-17763 दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 के अनुसार संलग्न विकल्प पत्र में दी गई व्यवस्थान्तर्गत आच्छादित होने वाले कार्मिक से सम्बन्धित आवेदन-पत्र में सूचना भर कर प्रस्तुत करें, उक्त शासनादेश के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के विकल्प-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. आवेदन-पत्र के परीक्षण हेतु विभागीय विज्ञप्ति, तदर्थ रूप से घोषित शासनादेश की प्रति, विनियमितीकरण से सम्बन्धी आदेश, कार्यभार/योगदान ग्रहण प्रमाण-पत्र आदि आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना अनिवार्य है।


28.1.2024
प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नईटिहरी, टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि-प्रभारी वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
नईटिहरी, टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नईटिहरी, टिहरी गढ़वाल।

शासनादेश संख्या-177639 दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 के अनुपालन में उत्तराखण्ड विनियमितीकरण नियमावली, 2002 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत तदर्थ कार्मिकों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रारूप-

1. कार्मिक का नाम-
2. पदनाम-
3. जन्मतिथि-
4. विभागीय विज्ञप्ति की तिथि-
5. तदर्थ रूप से कार्यभार ग्रहण की तिथि-
6. विनियमितीकरण की तिथि-
7. विनियमितीकरण के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की तिथि-
8. वर्तमान वेतनमान-
9. सेवानिवृत्त/निधन की तिथि-
(निधन की दशा में मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

हस्ताक्षर

नाम-

पदनाम-

॥ घोषणा-पत्र ॥

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम सं० 01 से 09 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम-

पदनाम-

सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती/डॉ०.....पदनाम.....को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व विनियमितीकरण नियमावली, 2002 से आच्छादित कार्मिक के आवेदन पत्रों का Case to Case-basis परीक्षण कर लिया गया है। अतः सम्बन्धित कार्मिक को दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व विनियमितीकरण किये जाने की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम-

पदनाम-

मोहर-